न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 70/17/दावा

संतोष पुत्र स्व. गणपत लाल उम्र 29 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादी

ब ना म

1. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा

उपस्थिति–

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर से

निर्णय दिनांक– 31.07.2017

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां खसरा नं. 940, 941, 943 किता 3 कुल रकबा 4.79 है0, खसरा नं. 942, 971 किता 2 कुल रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 960 ता 963, 965, 966, 969, 970, 975 किता 9 कुल रकबा 6.03 है0, खसरा नंबर 959 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम रूलाणा प.मं. बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित रही है जिसमें से वादी के पैत्रिक हक व हिस्से की खातेदारी पूर्व में वादी के पिता गणपतलाल पुत्र धन्ना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। वादी के पिता गणपतलाल पुत्र धन्ना का स्वर्गवास दिनांक 10.11.2010 को हो चुका है। मृतक खातेदार गणपतलाल की विरासत का ना.करण सं. 504 दिनांक 03.12.2010 को ग्राम पंचायत बनाथला में राजस्व अभियान में कैम्प प्रभारी तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा भरा गया है। वादी का सही व वास्तविक नाम संतोष है जो कि वादी के परिवार राशन कार्ड, विधालय रिकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, तहसील कार्यालय दांतारामगढ से जारी प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक आदि से स्पष्ट एवं प्रमाणित है। परन्तु तत्समय राजस्व कैम्प ग्राम पंचायत बनाथला में वादी के मृतक पिता गणपतलाल की विरासत का ना.करण सं. 504 दिनांक 03.12.2010 को भरते समय वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत व लापरवाही पूर्वक सुरेश दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त वर्णित भूमियां के राजस्व रिकार्ड में मृतक खातेदार गणपतलाल पुत्र धन्ना की विरासत का ना.करण सं. 504 दिनांक 03.12.2010 में वादी का नाम गलत रू$^{\text{प}}$ से संतोष की बजाय सुरेश लिखा गया हे जो गलत है एवं वादी के पैत्रिक हक अधिकारों का हनन है। इस सम्बन्ध में संबंधित ग्राम पंचायत बनाथला द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 25.05.2017 को उक्त संतोष मीणा व सुरेश एक ही व्यक्ति के नाम होने बाबत प्रमाणित किया जा चुका है जिसकी जानकारी इस अवधि अंतराल तक वादी को नहीं हो गई। आज से करीब 10 रोज पूर्व आवश्यक कार्यवश वादी ने राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त की तो पाया कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम संतोष नहीं होकर सुरेश पुत्र गणपतलाल दर्ज है

ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

जिसकी दुरूस्ती हेतु वादी को वाद नियोजन किया जाना आवश्यक हुआ है। वादी का नाम संतोष ही है। इस बाबत आवश्यक दस्तावेजात की फोटो प्रति संलग्न है। अगर समय रहते उपरोक्त रिकार्ड दुरूस्ती कर उद्घोषणा जारी नहीं की गई तो वादी उपरोक्त भूमियों में अपने पैत्रिक हिस्से बाबत कोई सरकारी सहायता अनुदान, ऋण आदि प्राप्त नहीं कर सकेगा व भविष्य में इस रिकार्ड दुरूस्ती का समायोजन किया जाना भारी परेशानी हो जायेगी एवं वादी को भारी मानसिक क्षति होगी जिसकी तलाफी कानून द्वारा भरपाई किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। फलस्वरूप तत्काल उपरोक्त विरासत के ना.करण सं. 504 दिनांक 03.12.2010 को दुरूस्त कर मृतक खातेदार गणपतलाल की विरासत मं मदनलाल, प्रकाश, संतोष, रिछपाल पुत्रगण गणपत दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है। वाद कारण अर्सा करीब 10 रोज पूर्व वादी द्वारा आवश्यक कार्यवश राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवा कर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संतोष के स्थान पर सुरेश अंकित हुआ पाये जाने पर उत्पन्न हुआ जो कि दावा दायरी के दिन तक क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप से चालू है। विवादित भूमि वाके ग्राम रूलाणा प.मं. बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हासिल हैं। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी फरमाया जाकर डिकी इस आशय की जारी की जावें कि वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमियों खसरा नं0 940, 941, 943 किता 3 कुल रकबा 4.79 है0, खसरा नं. 942, 971 किता 2 कुल रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 960 ता 963, 965, 966, 969, 970, 975 किता 9 कुल रकबा 6.03 है0, खसरा नंबर 959 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम रूलाणा प.मं. बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी में वादी के पिता मृतक खातेदार गणपत पुत्र धन्ना की विरासत के ना.करण सं. 504 दिनांक 05.12.2010 में वाद का नाम सुरेश पुत्र गणपत के स्थान पर दुरूस्त कर संतोष पुत्र गणपत किये जाने की उदघोषणा किया जाना प्रार्थनीय है।

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार, दातारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा अपनें पत्रांक भूअ / 17 / 1636 दिनांक 19.07.2017 के द्वारा रिपोर्ट भिजवायी गई जिसके अनुसार विवादित आराजियात में जरिये ना.करण सं. 504 दिनांक 03.12.2010 गणपत लाल पुत्र धन्ना लाल की विरासत में आवेदनकर्ता संतोष का नाम सुरेश दर्ज है। मुताबिक राशनकार्ड, विधालय अंकतालिका, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जाति प्रमाण पत्र में नाम संतोष दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड में दर्ज सुरेश के बजाय संतोष दर्ज किया जाना उचित है।

3. बहस वादी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वाद में वर्णित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराया गया एवं कथन किया कि वादी का वाद डिकी फरमाया जावें एवं मुताबिक दस्तावेजात अनुसार वादी का नाम सुरेश के स्थान पर संतोष किये जाने की उदघोषणा किया जाना न्यायोचित है।

Scanned by CamScanner

4. हमने वादी के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं संलग्नक दस्तावेजात एवं तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हे कि विवादित आराजियात में जरिये ना.करण सं. 504 दिनांक 03.12.2010 गणपत लाल पुत्र धन्ना लाल की विरासत में संतोष का नाम सुरेश दर्ज है। मुताबिक राशनकार्ड, विधालय अंकतालिका, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जाति प्रमाण पत्र में नाम संतोष दर्ज है। इस प्रकार सुरेश के बजाय संतोष दर्ज किया जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार वादी का नाम सुरेश के स्थान पर संतोष नाम की उदघोषणा किया जाना उचित है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजियात खसरा नं. 940, 941, 943 किता 3 कुल रकबा 4.79 है0, खसरा नं. 942, 971 किता 2 कुल रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 960 ता 963, 965, 966, 969, 970, 975 किता 9 कुल रकबा 6.03 है0, खसरा नंबर 959 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम रूलाणा प.मं. बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार सुरेश पुत्र गणपत के स्थान संतोष पुत्र गणपत की उदघोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने की तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 70/17/दावा
संतोष पुत्र स्व. गणपत लाल उम्र 29 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादी

ब ना म

1. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर से

निर्णय दिनांक— 31.07.2017

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आरएएस

संतोष बनाम तहसीलदार

दावा बाबत उद्घोषणा

निर्णय दिनांक 31.07.2017

मुकदमा नं0 70/दावा/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सत्यवीर यादव आरएएस बहाजरी श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील मिनजानिब मुददई एवं — मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित आराजियात खसरा नं. 940, 941, 943 किता 3 कुल रकबा 4.79 है0, खसरा नं. 942, 971 किता 2 कुल रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 960 ता 963, 965, 966, 969, 970, 975 किता 9 कुल रकबा 6.03 है0, खसरा नंबर 959 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम रूलाना प.मं. बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार सुरेश पुत्र गणपत के स्थान संतोष पुत्र गणपत की उद्घोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिकी जारी हो।

बीज .... मुबलिग......... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 जुलाई, 2017 को जारी की गई।

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मोहर

ओहदा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकायलतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	3	00			
मीजान	6	00	मीजान		

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner